न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 106 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. पदमाराम पुत्र जीयाराम 2. सोनाराम पुत्र जीयाराम 3. गुणेशाराम पुत्र जीयाराम 4. चतरू पुत्री जीयाराम 5. जोगाराम पुत्र मेहराराम 6. उदाराम पुत्र मेहराराम जातियान जाट निवासीयान हरियाली मगरा, (विशाला आगोर) तहसील व जिला बाड़मेर	1. लुम्भाराम पुत्र धनाराम 2. हनुमानराम पुत्र लाखाराम 3. भानाराम पुत्र लाखाराम 4. चेतनराम पुत्र लाखाराम 5. अचलाराम पुत्र लाखाराम जातियान जाट निवासीयान हुडो की ढाणी, तहसील बायतु जिला बाड़मेर 6. मैनेजर जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा विशाला आगौर तहसील व जिला बाड़मेर 7. श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 53 / 2013 बअनवान लुम्भाराम वगैरह बनाम पदमाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भवानीसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—20.03.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उतरदाता संख्या 01 से 05 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। मौजा हरियाली मगरा (विशाला आगोर), तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 628 रकबा 406.08 बीघा अवस्थित। अपीलाधीन आराजी में वादीगण / उत्तरदाता का 1 / 6 हिस्सा एवं अपीलांट संख्या 01 से 04 का 1 / 2 हिस्सा हैं। इस आशय का वाद अधीनस्थ

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाटस के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित की गई। मूल वाद तलबी के स्टेज पर विचाराधीन था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाड़मेर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया वर्तमान अरसा पोने दो माह पूर्व उतरदातागण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त की भूमि में हस्तक्षेप करने का प्रयास करने लगे जिस पर अपीलांटग्ण ने मना किया तो उत्तरदातागण ने धमकी दी कि हमने कोर्ट से फैसला करवा लिया है तथा आपके कब्जे वाली भूमि हमारे हिस्से में आई हुई है इसलिये आपको बेदखल कर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

देगें जिस पर अपीलांटगण को अपने हक हकूक संशयप्रद लगे तो अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले दिनांक 01.08.2022 मांगी जो दिनांक 16.08.2022 को प्राप्त की गई तब अपीलांटगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा जानकारी से यह अपील अन्दर म्याद पेश है फिर भी सद्भाविक रूप से हुऐ विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अपीलांटस के शपथ–पत्र पर विश्वास कर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित की गई। कैम्प कोर्ट में केवल राजीनामा के प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत तैयार किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की गई वो प्राथमिक डिक्री के विपरीत हैं। मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताक्षकर किये गये है। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 53/2013 बअनवान लुम्भाराम वगैरह बनाम पदमाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2015 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को जवाबदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने तथा सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

20/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/3/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर